**26. भूमि का विक्रय विलेख –**

विक्रय विलेख का ................. रुपये स्टाम्प शुल्क ................. रुपये; निगम कर ................. रुपये योग ................. पर मूल्यांकन किया गया।

विक्रय विलेख का निष्पादन श्री / श्रीमती पत्र / पत्नी निवासी (इसमें इसके पश्चात दूसरे भाग का क्रेता कहा गया) के पक्ष में श्री ................. ................. पुत्र ................. ......................... निवासी ................. राज्य ................. (इसमें इसके पश्चात् प्रथम भाग का विक्रेता कहा गया)।

पद यह कि विक्रेता एवम क्रेता दोनों के अन्तर्गत क्रमशः उनके वारिसगण, निष्पादनकर्तागण, प्रतिनिधिगण तथा समनुदेशितीगण आते है।

यतः विक्रेता ............... ................. में स्थित खसरा सं ................ को परिवेष्ठित कर ................. बीघा ................ विस्वा की माप वाली भूमि का वास्तविक स्वामी एवम् कब्जाधारी है।

यतः विक्रेता दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधीन कथित भूमि का भूमिधर है।

यतः विक्रेता ने ................. रुपये के एक प्रतिफल के लिए क्रेता को कथित भूमि का विक्रय करने का करार किया है। संपूर्ण प्रतिफल रकम क्रेता से विक्रेता द्वारा अग्रिम तौर पर प्राप्त किया जा चुका है।

यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्षित करता है -

1. यह कि उपर्युक्त रकम के प्रतिफल में, विक्रेता ने क्रेता को एतद्द्वारा सभी अधिकारों, स्वत्व एवम् हित सहित उपर्युक्त भूमि का एतद्द्वारा अंतरण, हस्तांतरण एवम् समनुदेशन करता है।
2. यह कि कथित विक्रेता ने स्थल पर कथित क्रेता को कथित भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा परिदान कर चुका है।
3. यह कि इस विलेख के संपूर्ण खर्चों का संदाय किया जायेगा और कथित क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
4. यह कि कथित क्रेता इस विलेख के आधार पर कथित राजस्व अभिलेखों में कथित भूमि की दाखिल खारिज को प्रभावकारी बनवा सकता है।
5. यह कि उपर्युक्त भूमि नगरीकृत परिसीमाओं के परे हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र ................. ................. से प्राप्त किया जा चुका है। कथित भूमि के अंतरण के लिए भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 33 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। कथित भूमि का प्रयोग कृषिक प्रयोजनार्थ किया जायेगा।
6. यह कि विक्रय, बन्धक एवम् दान इत्यादि के रूप में इस प्रकार सभी प्रकार के विल्लगमों से मुक्त विक्रय के अधीन उपर्युक्त भूमि और विक्रेता के हक में कोई दोष नहीं है और यदि अन्यथा साबित कर दिया जाय तो कथित क्रेता द्वारा संधृत हानि को पूर्णतः या अंशतः विस्तार तक क्रेता की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। जिसके साक्ष्य में विक्रेता ने ऊपर लिखित दिन, महीना एवम् वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर किया है।

साक्षीगण

1. ................. विक्रेता

2. .................